झारखण्ड सरकार

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,

एफ0–49/50, सेक्टर–III धुर्वा, राँची–834004.

विज्ञापन संख्या–04/2013

वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा (SACE-2013)

1. गृह विभाग झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या– 8/सी0–604/2013–3665 दिनांक–23.07.2013, पत्र संख्या– 13(8)/सी0–613/2009–4518 दिनांक– 03.08.2013 एवं पत्र संख्या–8/रा0वि0प्र0(11)–03/2013–7376 दिनांक– 16.12.2013 द्वारा संसूचित राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अधीन वैज्ञानिक सहायक के पद [(वेतनमान पी0बी0II(9300–34800) ग्रेड पे–4200)] पर रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु भारत के नागरिकों से वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा–2013 के लिये ऑनलाईन (Online) आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थी अर्हता अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं।

2. **पदों की रिक्तियों का विवरण :–**

क्रम सं0	पद का नाम एवं शैक्षणिक योग्यता	आरक्षण वर्ग	कुल रिक्ति
1	**2**	**3**	**4**
1	पद– वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी + आग्नेयास्त्र) शैक्षणिक योग्यता– एम0एस0सी0, भौतिकी (न्यूनतम–55% अंक) के साथ। तकनीकी योग्यता– कम्प्यूटर (Windows,MS office, Internet, e-mail knowledge)का सर्टिफिकेट कोर्स (राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र)	अनारक्षित	09
		अनुसूचित जनजाति	04
		अनुसूचित जाति	02
		अत्यन्त पि0वर्ग अनु0 –1	01
		पि0 वर्ग अनु0–2	01
		योग	**17**
2.	पद– वैज्ञानिक सहायक (डाक्यूमेंट/हस्तलिपि/फिंगर प्रिंट/फूट प्रिंट) शैक्षणिक योग्यता– एम0एस0सी0, भौतिकी/रसायन (न्यूनतम–55% अंक) के साथ। तकनीकी योग्यता– कम्प्यूटर (Windows,MS office, Internet, e-mail knowledge) का सर्टिफिकेट कोर्स (राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र)	अनारक्षित	02
		अनुसूचित जनजाति	01
		अनुसूचित जाति	–
		अत्यन्त पि0 वर्ग अनु0–1	–
		पि0 वर्ग अनु0–2	–
		योग	**03**
3.	पद– वैज्ञानिक सहायक (सामान्य रसायन, विष विज्ञान, विस्फोटक एवं नारकोटिक्स)	अनारक्षित	15
		अनुसूचित जनजाति	08

	शैक्षणिक योग्यता– एम0एस0सी0, रसायन शास्त्र (न्यूनतम–55% अंक) के साथ। तकनीकी योग्यता– कम्प्यूटर (Windows,MS office, Internet, e-mail knowledge) का सर्टिफिकेट कोर्स (राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र)	अनुसूचित जाति	03
		अत्यन्त पि0वर्ग अनु 0–1	02
		पि0 वर्ग अनु0–2	02
		योग	**30**
4.	पद– वैज्ञानिक सहायक (जीव विज्ञान, सीरम विज्ञान, डी0एन0ए0) शैक्षणिक योग्यता– एम0एस0सी0, जन्तु विज्ञान/जीव रसायन/वनस्पति विज्ञान/मोलेक्यूलर जीव विज्ञान/बायो टेक्नोलॉजी (न्यूनतम–55% अंक) के साथ। तकनीकी योग्यता– कम्प्यूटर (Windows,MS office, Internet, e-mail knowledge) का सर्टिफिकेट कोर्स (राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वार निर्गत प्रमाण पत्र)	अनारक्षित	10
		अनुसूचित जनजाति	05
		अनुसूचित जाति	02
		अत्यन्त पि0वर्ग अनु0 –1	02
		पि0 वर्ग अनु0–2	01
		योग	**20**
5.	पद– वैज्ञानिक सहायक (फोटोग्राफी) शैक्षणिक योग्यता– बी0एस0सी0, भौतिकी विषय के साथ (न्यूनतम–55% अंक) तकनीकी योग्यता– कम्प्यूटर (Windows,MS office, Internet, e-mail knowledge) का सर्टिफिकेट कोर्स (राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र)	अनारक्षित	02
		अनुसूचित जनजाति	01
		अनुसूचित जाति	–
		अत्यन्त पि0 वर्ग अनु0–1	–
		पि0 वर्ग अनु0–2	–
		योग	**03**
सकल योग			**73**

3. परीक्षा के लिये आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करेगा कि अभ्यर्थी विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिये चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा।

4. आयु सीमाः– उम्र की गणना दिनांक– 01.08.2013 के आधार पर की जायेगी। उक्त गणना हेतु प्रवेशिकोर्त्तीण प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को आधार माना जायेगा।

1. न्यूनतम उम्र सीमा– 21 वर्ष

2. अधिकतम उम्र सीमा :–

(i) अनारक्षित – 35 वर्ष

(ii) झारखण्ड के स्थानीय निवासियों के लिये उम्र सीमा निम्नवत् हैः–

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष

(ख) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 – 37 वर्ष

(ग) महिला (अनारक्षित, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एव पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2) –38 वर्ष

5. आरक्षणः–

(I) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। मात्र उन्हीं उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी हैं। अन्य राज्यों

एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवार, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें अनारक्षित श्रेणी का माना जायेगा।

(II) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(III) अभ्यर्थियों को उम्र में छूट तथा आरक्षण का लाभ निम्न प्रमाण पत्रों के आधार पर देय होगाः–

(क) उम्र में छूट के लिये :– स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।

(ख) आरक्षण का लाभ के लिये :– (i) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (ii) जाति प्रमाण पत्र।

(ग) अभ्यर्थी के अपने जिला/अनुमण्डल के केवल उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से विहित प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगें।

(घ) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) के लिये परिशिष्ट **(III)** में दिये गये प्रपत्र में दिनांक– 01.04.2013 अथवा इसके बाद की तिथि में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगें।

(ङ) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र से संबंधित विहित प्रपत्र क्रमशः परिशिष्ट **(I),** परिशिष्ट **(II)** एवं परिशिष्ट **(III)** के रूप में संलग्न हैं।

6. **<u>आवेदन पत्र को भेजना</u>**:– ऑनलाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निदेश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेवसाईट www.jssc.in पर जाएँ एवं Online Application for SACE-2013 पर Click करे एवं आवेदन पत्र भरें। एक या एक से अधिक पदो के लिए एक ही आवेदन पत्र भरे जायेगें जिसमें पदो का विकल्प देना होगा। विभिन्न पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के विषय के बारे में सूचना विवरणिका की कंडिका 9 में उल्लेखित है। जिन पद/पदों के लिए एक से अधिक विषयों का उल्लेख कंडिका 9 में है, वैसे पद/पदों के लिए अभ्यर्थी को उसी विषय में परीक्षा देनी होगी जिस विषय में उन्होंने स्नातोकोत्तर डिग्री प्राप्त की है।

7. **<u>मेधा सूची</u>**:–

(i) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जायेगी और तदोपरान्त रिक्तियों के अनुसार आरक्षणवार चयन सूची गठित होगी। परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा–सूची में शामिल नहीं किया जायेगा तथा वे चयन के लिये अयोग्य माने जायेगें :–

<u>न्यूनत्तम अर्हतांक</u>

1. अनारक्षित–	**40 (चालीस) प्रतिशत**
2. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति –	**32(बत्तीस) प्रतिशत**
3. अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) –	**34 (चौंतीस) प्रतिशत**
4. पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) –	**36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत**
5. महिला–	**32(बत्तीस) प्रतिशत**

(ii) मेधा–सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत उपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्त्तनी

(Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा।

(iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी किन्तु उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग वही होगा। यह शर्त्त उन्ही आरक्षित अभ्यर्थियों के लिये लागू होगी जिनकी अर्हताऐं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के अनुरूप है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन अनुदेश/निदेश/परिपत्र लागू होगें।

(iv) परीक्षा के आधार पर मेधा–सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् आयोग के द्वारा अपनी सुविधा अनुसार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के सहयोग से प्रमाण–पत्रों की जाँच कराई जायेगी एवं तत्पश्चात् आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु मेधा सूची के आधार पर अनुशंसा गृह विभाग, झारखण्ड सरकार को भेजी जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, तथा रिक्ति के अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों की कमी हो जाती है, **तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि के वैसे उम्मीदवार जिनका नाम प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को छोड़ कर मेधा–सूची में सबसे उपर रहेगें को क्रमवार प्रमाण पत्रों की जांच के लिये आमंत्रित किया जायेगा।**

8. **नियुक्तिः–**

(i) परीक्षा में सफलता वैज्ञानिक सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के आधार पर सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(ii) किसी भी अभ्यर्थी को वैज्ञानिक सहायक के पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जबतक वह ऐसी चिकित्सीय जाँच, जिसे झारखण्ड सरकार विहित करे, के पश्चात् किसी मानसिक या शारीरिक त्रुटि से मुक्त पाया गया हो, जिससे सेवा के कत्तव्यों के निर्वहन में व्यवधान उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(iii) सेवा में नियुक्तियाँ समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1 के अभ्यर्थियों के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्यधीन होगी।

9. **परीक्षा का स्वरूप**

1. परीक्षा– परीक्षा दो पाली में होगी। प्रत्येक पद के लिए परीक्षा एक पत्र में ली जायेगी। एक पत्र में 100 प्रश्न होगें तथा सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (objective) तथा वहुविकल्पीय उत्तर (Multiple Answer) आधारित होगा। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त होगें तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। परीक्षा की अवधि एक पाली में दो घंटे की होगी। प्रत्येक पत्र में संबंधित विषय आधारित प्रश्न होगें तथा उनका स्तर पद की शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप होगा। पदवार परीक्षा के विषय निम्नवतः हैंः–

क्रम सं0	पद का नाम	परीक्षा का विषय
1	**2**	
1	वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी + आग्नेयास्त्र)	भौतिकी (एम0एस0सी0 स्तर)
2.	वैज्ञानिक सहायक, डाक्यूमेंट / हस्तलिपि / फिंगर प्रिंट / फूट प्रिंट	भौतिकी / रसायन शास्त्र (एम0एस0सी0 स्तर)
3.	वैज्ञानिक सहायक, सामान्य रसायन, विष विज्ञान, विस्फोटक एवं नारकोटिक्स।	रसायन शास्त्र (एम0एस0सी0 स्तर)
4.	वैज्ञानिक सहायक, जीव विज्ञान, सीरम विज्ञान, डी0एन0ए0	जन्तु विज्ञान / जीव रसायन / वनस्पति विज्ञान / मोलेक्यूलर जीव विज्ञान / बायो टेक्नोलॉजी। (एम0एस0सी0 स्तर)
5.	वैज्ञानिक सहायक, फोटोग्राफी	भौतिकी (बी0एस0सी0 पासकोर्स स्तर)

प्रथम पाली में क्रमांक 1 से 4 तक के पदों के लिए तथा द्वितीय पाली में क्रमांक 5 के पद के लिए संबंधित विषय में परीक्षा ली जायेगी। कोई उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एक से अधिक पदो के लिए आवेदन देता है तो वैसी स्थिति में क्र0सं0 1 से 4 तक के पदो के जिस विषय में अभ्यर्थी ने स्नातोकोत्तर डिग्री ली है उसी विषय की परीक्षा देने के लिए उन्हें अवसर मिलेगा।

सभी विषयों का पाठ्यक्रम विवरणिका में दी गयी है।

10. परीक्षा शुल्कः–

(i) परीक्षा शुल्क रू0 500 (पाँच सौ रूपये) देय है।

(ii) **परीक्षा शुल्क में छूटः**– राज्य के अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0 125 (एक सौ पच्चीस रूपये) देय है।

परीक्षा शुल्क बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा पर बैंक चालान के माध्यम से देय है।

परीक्षा शुल्क जमा करने के चार दिनों के बाद आवेदक भरे हुए आवेदन का प्रिंटआउट वेबसाईट पर जाकर ले सकते हैं।

परीक्षा शुल्क अप्रत्यर्पणीय (Non Refundable) होगा।

11. आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी विवरणिका में दी गयी जानकारी से पूर्णतः अवगत हो लें।

12. **महत्वपूर्ण तिथियाँ** –

(क) 04.03.2014, 10 बजे पूर्वाह्न से ऑन लाईन आवेदन पत्र भरे जायेगें।

(ख) ऑन लाईन आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 03.04.2014, 05.00 बजे अपराह्न तक है।

(ग) परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 03.04.2014 (बैंकिंग अवधि तक) है।

13. आयोग को परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन एवं परीक्षा के संचालन में संशोधन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

14. आयोग द्वारा परीक्षा का कार्यक्रम बाद में प्रकाशित किया जायेगा।

परीक्षा नियंत्रक

परिशिष्ट (I)
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/बि0बि0आ0–019–03/2002–4156 दिनांक– 17 जुलाई, 2002 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

प्रपत्र

कार्यालय का नाम :–

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (नियोजन के लिए)

संख्या :–....................................... तिथिः....................................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/ पति श्री .... पता–ग्राम/वार्ड/शहर..................................... पो0 ...., थाना ...., जिला .... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण–पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या– 3389, दिनांक– 22 दिसम्बर, 2001 के साथ संलग्न बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग के पत्र संख्या– 3/स्था0नि0 5014/81–806, दिनांक– 03 मार्च, 1982 में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मात्र नियोजन के संदर्भ में मान्य होगा।

स्थान :–
दिनांक :–

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम ....
पदनाम ....

———————

परिशिष्ट (II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जा.नि. –19–11/2008 का.–5682 दिनांक– 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र–I

....

(कार्यालय का नाम)
जाति प्रमाण–पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या–................................. तिथिः–............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री .... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला .... डाकघर........................... थाना .... जिला .... राज्य.............................. अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत................................... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा..................................., शहर.............................., जिला..........................., राज्य....................में निवास करते हैं।

स्थान :–

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम ....

दिनांक :–

पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950 2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

———————

परिशिष्ट (III)
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जाति–19–11/2008 का.–10007 दिनांक– 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

प्रपत्र–II
झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम/शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक– 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :–

दिनांक :–

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम ....
पदनाम ....
(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–7/भा0स0प0–17–03/08 का0–5102 (अनु0) दिनांक– 13.05.2013 के अनुसार यथा संशोधित आयु सीमा।